इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 554] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 6 अक्टूबर 2022—आश्विन 14, शक 1944

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2022

क्र. 15043-247-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 4 अक्टूबर, 2022 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २४ सन् २०२२

मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, २०२२

[दिनांक ४ अक्टूबर, २०२२ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ६ अक्टूबर २०२२ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, १९५८ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, २०२२ है.

धारा २ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, १९५८ (क्रमांक १९ सन् १९५८) की धारा २ में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(क) "उच्चतर न्यायिक सेवा का संवर्ग" से अभिप्रेत है, जिला न्यायाधीशों का संवर्ग और इसमें सम्मिलित हैं, प्रधान जिला न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश (अधिसमय मान), जिला न्यायाधीश (चयन श्रेणी) तथा जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर);".

भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2022

क्र. /247-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2022 (क्रमांक 24 सन् 2022) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 24 OF 2022

THE MAHDYA PRADESH CIVIL COURTS (AMENDMENT) ACT, 2022

[Received the assent of the Governor on the 4th October, 2022; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 6th October, 2022.]

An Act Further to amend the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy-third year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Civil Courts (Amendment) Act, 2022.

Amendment of Section 2.

2. In section 2 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (No. 19 of 1958), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—

"(a) "cadre of Higher Judicial Service" means the cadre of District Judges and shall include the Principal District Judge, District Judge (Super Time Scale), District Judge (Selection Grade) and District Judge (Entry Level);".

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल में मुद्रित तथा प्रकाशित—2022.